## <u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, <u>चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (म.प्र.)

#### <u>दांडिक प्रकरण क.-526 / 12</u> संस्थापित दिनांक-18.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। अभियोजन
विरुद्ध
1— संतकुमार पुत्र लखनलाल उम्र 30 साल 2— चकेश पुत्र गौरीशंकर उम्र 33 साल 3— वैजनाथ पुत्र गौरीशंकर उम्र 60 साल निवासीगण— ग्राम लुहारी तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0
आरोपीगण
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :— श्री आई.के.पठान अधिवक्ता।

# -: <u>निर्णय</u> :--

# (आज दिनांक 17.02.2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 451, 324/34(रामराजा के संबंध में), 324/34(ममता के संबंध में), 323/34, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 22.10.2012 को करीब 12:00 बजे फरियादी का घर ग्राम लुहारी थाना पिपरई में फरियादी रामराजा के घर में उपहित पहुँचाने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर रामराजा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने रामराजा की धारदार हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर ममता की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने ममता की धारदार हिसंया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की तथा ब्रजेश की ठूंसा से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की तथा ब्रजेश की ठूंसा से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की तथा ब्रजेश की ठूंसा से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमी देकर, संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादीगण/आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण संतकुमार, चक्रेश, वैजनाथ को भा.द.वि की धारा 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

### //2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-526/12

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी रामराजा ने घायल अवस्था में अपनी चाची ममता व चाचा ब्रजेश के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादी और आरोपी चकेश का डीपी से मोटर चलाने को लेकर विवाद चल रहा है। दिनांक 22.10.2012 को वह नहा रहा था कि अचानक उसकी चाची ममता के चिल्लाने की आवाज आई, वह गया तो देखा चकेश, चाची के सामने खडा था और आरोपी ने उसके पास से एक हिसया उठाकर मारा जो छाती के दांहिने तरफ लगा, जिससे चोट लगकर खून निकल आया। फिर हिसये से चाची ममता को मारा जो माथे में लगा, चोट लगकर खून निकल आया, उसकी कलाई में भी चोट आई। झगडे की आवाज सुनकर संतराम कुल्हाडी लेकर आ गया उसने फरियादी को कुल्हाडी मारी जो बांये पैर मे लगी, चोट होकर खून निकल आया। उसी समय आरोपी वैजनाथ भी आ गया जिसने चाचा ब्रजेश के सिर मे घूसा मारा। जाते जाते आरोपीगण बोल रहे थे कि अगर अब डीपी के पास जाओगे तो जान से मार देगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.10.2012 को करीब 12:00 बजे फरियादी का घर ग्राम लुहारी थाना पिपरई में फरियादी रामराजा के घर में उपहित पहुँचाने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर रामराजा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने रामराजा की धारदार हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर ममता की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने ममता की धारदार हिसंया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?

#### //3//दाण्डिक प्रकरण कमांक-526/12

#### : : सकारण निष्कर्ष : :

- 06— विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 व 3 एक दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त तीनो विचारणीय प्रश्नो का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी रामराजा अ०सा01 का कहना है कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 4—5 साल पहले की होकर दोपहर 12—1 बजे की है। घटना के समय वह नहा रहा था, तभी उसे चाची ममता की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो आरोपी चक्रेश उनके सामने खडा था और चाची के साथ वाद विवाद कर रहा था। वाद विवाद की आवाज सुनकर घटना स्थल पर आरोपी वैजनाथ एवं संतराम भी आ गये थे और ब्रजेश और ममता भी आ गये थे। आरोपीगण उससे, ब्रजेश तथा ममता से डीपी से मोटर चलाने को लेकर वाद विवाद करने लगे एवं वाद विवाद में दौडकर घर जाते समय रास्ते में फिसलने से उसे, ब्रजेश तथा ममता को चोटे आ गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना पिपरई में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका, ब्रजेश एवं ममता का मेडिकल कराया था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि चकेश ने हिसया उठाकर मारा जो उसकी छाती में दांहिनी तरफ लगकर खून निकला। इस बात से इंकार किया कि फिर चकेश ने हिसया चाची ममता को मारा माथे पर चोट होकर खून निकल आया एवं कलाई में चोट आई। इस बात से इंकार किया कि आवाज सुनकर संतराम कुल्हाडी लेकर आया और उसे कुल्हाडी मारी, चोट होकर खून निकल आया। इस बात से भी इंकार किया कि तभी वैजनाथ आ गया चाचा ब्रजेश के मुंह में हाथ से ठूंसा मारा। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका, ब्रजेश एवं ममता का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ब्रजेश अ0सा02, ममता अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में यह बताया कि आरोपीगण से डीपी से मोटर चलाने को लेकर वाद विवाद हुआ था एवं दौडकर फिसलकर गिरने से चोट आना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया।

### //4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-526/12

में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उनका वाद विवाद घर के बाहर हुआ था तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि आरोपीगण द्वारा उनके साथ हिसया एवं कुल्हाड़ी से कोई मारपीट नहीं की गई। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं फरियादी एवं आहतगण ने घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि अभियोजन घटना के विपरीत फिसलने से चोटे आना व्यक्त किया।

- 10— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.10.2012 को करीब 12:00 बजे फरियादी का घर ग्राम लुहारी थाना पिपरई में फरियादी रामराजा के घर में उपहित पहुँचाने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर रामराजा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने रामराजा की धारदार हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सह अभियुक्त चक्रेश तथा संतराम के साथ मिलकर ममता की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी चक्रेश ने ममता की धारदार हिसंया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण संतकुमार, चक्रेश, वैजनाथ को भा.द.वि. की धारा 451, 324/34(रामराजा के संबंध में), 324/34(ममता के संबंध में), के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे हिसया एवं एक लोहे की कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12— अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण मे संलग्न किया जावे
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

# //5//दाण्डिक प्रकरण कमांक-526/12